



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1567] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 5, 2014/श्रावण 14, 1936

No. 1567] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 5, 2014/SHRAVANA 14, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2014

का.आ.1997(अ).— केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 112 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार की तत्कालीन भूतल परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 425(अ), तारीख 9 जून, 1989 को अधिकांत करते हुए, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट वर्गों के मोटर यानों के संबंध में उस सारणी के स्तंभ (3) में किलोमीटर में अधिकतम गति नियत करती है :-

सारणी

क्र.सं.	मोटर यानों का वर्ग	किलोमीटर में प्रतिघंटा अधिकतम गति
(1)	(2)	(3)
1	यात्रियों के वहन के लिए उपयोग किए जाने वाले मोटर यान जिनमें चालक की सीट के अतिरिक्त नौ या अधिक सीटें हैं	80
2	यात्रियों के वहन के लिए उपयोग किए जाने वाले मोटर यान जिनमें चालक की सीट के अतिरिक्त आठ से अनधिक सीटें हैं	100
3	माल के वहन के लिए उपयोग किए जाने वाले मोटर यान	80
4	चौपहिया साइकिलें	70
5	तिपहिया यान	60
6	मोटर साइकिलें	80

[फा. सं. आरटी-11036/45/2006-एमवीएल]

संजय बंदोपाध्याय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th August, 2014

S.O. 1997 (E):- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 112 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), and in supersession of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Surface Transport number S.O. 425(E), dated the 9th June, 1989, the Central Government hereby fixes the speed in kilometers per hour specified in column (3) of the Table below as per the maximum speed in respect of the classes of motor vehicles specified in the corresponding entry in column (2) thereof.

TABLE

Sl. No.	Class of Motor Vehicles	Maximum speed per hour in Kilometers
(1)	(2)	(3)
1.	Motor vehicles used for carriage of passengers comprising nine or more seats in addition to the driver's seat	80
2.	Motor vehicles used for carriage of passengers comprising not more than eight seats in addition to the driver's seat	100
3.	Motor vehicles used for carriage of goods	80
4.	Quadricycle	70
5.	Three wheeled vehicles	60
6.	Motor cycles	80

[F. No. RT-11036/45/2006-MVL]

SANJAY BANDOPADHYAYA, Jt. Secy.